

दिनांक 27.03.2021 को ग्राम दोदराजपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर की महिला द्वारा थाना तिलहर पर तहरीर देकर मु0अ0स0 196/21 धारा 363/366 भादवि बाबत गैर समुदाय के युवक द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सुधीर कुमार के सुपुर्द हुई।

प्रकरण दो अलग अलग सम्प्रदाय का होने के कारण श्री एस0 आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल अपहर्ता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिये गये।

जिसके अनुपालन में श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण तथा हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक तिलहर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए नाबालिक अपहर्ता को अभियोग पंजीकरण के मात्र 10 घण्टे की अवधि में बरामद करते हुए अभियुक्त यासीन को आज दिनांक 28.03.2021 को समय 09.15 बजे सुबह हिन्दूस्थान होटल कस्वा व थाना तिलहर से गिरफ्तार कर लिया गया अभियुक्त को बाद विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु रवाना किया जा रहा है तथा अपहर्ता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु महिला जिला अस्पताल शाहजहाँपुर रवाना किया जा रहा है। अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभिगण का विवरण:-

1. यासीन पुत्र मुजम्मिल खान निवासी मो0 ईमली कस्वा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0स0 196/21 धारा 363/366 भादवि

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. हे0का0 35 अब्दुल कामिल
4. म0आ0 1709 नीलम चौहान